डायरी संख्या 2313 / क०के०सिं०वि०
दिनांक 06/9/22 लखनऊ

संख्या–622/सत्ताईस–13–2022–07ख0प0/18

प्रेषक,

पन्ना लाल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–13 **लखनऊःदिनांक 02 सितम्बर, 2022**

विषयः–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता स्तर–1 के कार्यालयों को शासनादेश सं0–1603/सत्ताईस–1–2015–29/2015 दिनांक 02.05.2015 के अनुसार पूर्ववत् बनाये रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–जी–157/अधि–5/कर्तव्य एवं दायित्व, दिनांक 23.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके पूर्व पत्र सं0–जी–142/अधि–5/कर्तव्य एवं दायित्व, दिनांक 24.06.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता स्तर के अन्यत्र स्थापित कार्यालयों को लखनऊ में स्थापित किये जाने हेतु शासन के पत्र सं0–478/सत्ताईस–13–2022–07ख0प0/2018 दिनांक 19.07.2022 द्वारा स्वीकृति संबंधी आदेश निर्गत किये गये है।

2. इस संबंध में प्रश्नगत विषय पर पुनः आपके पत्र सं0–जी–157/अधि–5/कर्तव्य एवं दायित्व, दिनांक 23.08.2022 द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता स्तर के अन्यत्र स्थापित कार्यालयों को लखनऊ में स्थापित किये जाने विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 19.07.2022 को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 19.07.2022 को तदनुसार निरस्त करते हुये उक्त व्यवस्था शासनादेश सं0–1603/सत्ताईस–1–2015–29/2015 दिनांक 02.05.2015 के अनुसार पूर्ववत् जारी रहेगी।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय हित में मुख्य अभियंता, स्तर–1 के लखनऊ में स्थापित कार्यालयों को पूर्ववत् शासनादेश सं0–1603/सत्ताईस–1–2015–29/2015 दिनांक 02.05.2015 के अनुसार यथावत् बनाये रखने के निर्देश/निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पन्ना लाल
विशेष सचिव।

संख्याः 622 (1)/सत्ताईस–13–2022 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिवगण, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख अभियंता (यांत्रिक/परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लख नऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/मेरठ/झांसी/प्रयागराज/गोरखपुर/बरेली।

Ravi sir GO (M)

श्रीमती ... प्रा. के. अ.
SRCC 5/9/22

4. मुख्य अभियंता (पश्चिम), मेरठ / मुख्य अभियंता (दक्षिण), झांसी / मुख्य अभियंता (विन्ध्यांचल), प्रयागराज / मुख्य अभियंता (पूर्व), गोरखपुर / मुख्य अभियंता (रूहेलखण्ड), बरेली।
5. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (अधि0–5) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
7. अधिशासी अभियंता, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई एवं जल संसाधन सचिव शाखा, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0एन0 तिवारी)
उप सचिव।

Ravi sir GO (M)